

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 411]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 11 सितम्बर 2013—भाद्र 20, शक 1935

लोक निर्माण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 सितम्बर 2013

क्र. एफ 3-09-2013-उन्नीस-सा.—मध्यप्रदेश राजमार्ग अधिनियम, 2004 (क्रमांक 11 सन् 2005) की धारा 3 के खण्ड (दो) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा नीचे दी गई सारिणी में यथा विनिर्दिष्ट मार्ग को मध्यप्रदेश में राज्य मार्ग के रूप में घोषित तथा वर्गीकृत करती है, अर्थात्:—

सारणी

अनु. क्रमांक (1)	जिले का नाम (2)	राज्यमार्ग का क्रमांक (3)	राज्यमार्ग का ब्यौरा (4)	लंबाई (कि.मी. में) (5)
1	सीहोर एवं रायसेन	15-ए	शाहगंज बरखेड़ा मार्ग (राज्यमार्ग क्रमांक-15 एवं राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-69 को जोड़ने वाली लिंक मार्ग).	18.70

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

राजीव शर्मा, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 11 सितम्बर 2013

पृ. क्र. एफ 3-09-2013-उन्नीस-सा.—भारत के संविधान में अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अन्तर्गत, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 3-09-2013-उन्नीस-सा., दिनांक 11 सितम्बर 2013 का अंग्रेजी अनुवाद, राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्द्वारा, प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

राजीव शर्मा, उपसचिव.

Bhopal the 11th September 2013

No. F 3-9-2013-G-XIX.—In exercise of the powers conferred by clause (ii) of Section 3 of the Madhya Pradesh Rajmarg Adhiniyam 2004 (No. 11 of 2005), the State Government hereby declare and classify the road specified in the table given below to be the State Highway in Madhya Pradesh namely :—

TABLE

S. No. (1)	Name of District (2)	No. of State Highway (3)	Detail of State Highway (4)	Length in K.M. (5)
1	Sehore and Raisen	15-A	Shahganj Barkheda Road (Link Road Connecting State Highway No. 15 and National Highway No. 69).	18.70 K.M.

By Order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh
RAJEEV SHARMA, Dy. Secy.